

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

22/2023

श्री भवानी शंकर कुर्मी पुत्र श्री हीरा लाल कुर्मी निवासी पोस्ट आफिस के सामने की
गली धाकड कोलोनी टोडारायसिंह जिला टोंक राज0
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 26.07.2023

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा को आवेदन पत्र दिनांक 13.04.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

तहसीलदार एल.आर. का बिल माह 10/1984 से फरवरी 1986 के बिल व डी.ए. ऐरियर सम्बन्धित अवधि का प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा को पत्र क्रमांक 481 दिनांक 21.06.2023 व 566 दिनांक 07.07.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा ने पत्र क्रमांक /भूअ./2023/2104 दिनांक 05.07.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र क्रमांक 2105-06 दिनांक 05.07.2023 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(चिन्मयी प्रेमपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर
एवं जिला कलेक्टर टोंक